राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.7(1)नविवि/नियम/2019 जयपुर, दिनांक: 13 JAN 2020

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक प.7(1)नविवि/2019 दिनांक 13.09.2019 के बिन्दु सं. 3 में अवाप्त की जाने वाली भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने के संबंध में निम्न निर्देश प्रसारित किये गये हैं :–

"नये भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत मुआवजे की नकद राशि का भार नगर निकायों पर अत्यधिक आता है। ऐसे अवाप्त की जाने वाली भूमि के मामलों में जहां तक हो सके भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने की कार्यवाही की जावे। इस प्रकार मुआवजे के रूप में 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने की स्वीकृति के भी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजकर स्वीकृति प्राप्त की जावे।"

नगर विकास न्यास/प्राधिकरण द्वारा सेक्टर रोड एवं अन्य प्रोजेक्ट के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि के बदले नियमानुसार विकसित भूमि आवंटित किये जाने की कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 45, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 45 एवं राजस्थान नगर विकास न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1959 की धारा 51 के तहत प्राधिकरण/न्यास अपने स्तर पर ही संपादित करायेंगे, ऐसे प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(भास्कर ए. सावंत)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।
10. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
11. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम